राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

बोर्ड की 89 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

बोर्ड की ओर से जारी समसंख्यक बोर्ड मीटिंग नोटिस क्रमांक 312–325 दिनांक 11.09.2017 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की 89वीं बैठक दिनांक 13.09.2017 को मध्यान्ह पश्चात 12.15 बजे आयोजित हुई, जिसमें बाद विचार–विमर्श एजेण्डावार निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव सीधी भर्ती परीक्षा–2016 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 8310/2017, 8737/2017, 9152/2017 एवं 9556/2017 दिनांक 11.08.2017 तथा 9959/2016 दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश के संबंध में विचार :–

विशेषाधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने याचिका संख्या 8189/2017, 8310/2017, 8737/2017, 9152/2017, 9556/2017, 8189/2017, 8439/2017, 9572/2017, 9861/2017, 9959/2017, में दिनांक 11.08.2017 एवं दिनांक 18.08.2017 पारित निर्णय में आदेश दिए गए हैं कि " In view of discussions, though this court does not find any illegality or infirmity in the decision of the respondent Board in reducing/lowering down the cut off marks for other categories vide the decision of the Board takes in its 80th meeting held on 03.07.2017. However, since the sole reason for granting relaxation was that sufficient eligible candidates were not available in the reserved categories, this Court feels that in the undisputed facts obtaining in the present case, a relook by the Board is imperative. A review of a facts reminds that in the category of Ex-servicemen, only 3 candidates as againt the total 377 posts were found eligible, as such, it would be expedient and in the interest of the rights of the petitioners that the respondent board thinks over for reduction of the quilifying marks, as has been done in other reserved categories. This exercise is not only imperative but necessary to ensure that the petitioners' right of seeking appointment can be made meaningful in light of mandate given by hon'ble Supreme court in the case of state of Orrisa Vs. mohd. yunus & Ors.

The respondent Board is directed to take appropriate decision in accordance with law, after a denove appraisal of the factual position, within a period of one month from today but not than 15th September 2017.

with the direction aforesaid the writ petitions are dispoesd of."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.08.2017 के संदर्भ में प्रकरण का गहनता से परीक्षण एवं विचार विमर्श किया गया।

बोर्ड द्वारा अपनी 54 वी बैठक की बिन्दु संख्या 03 की उपबिन्दु ii में निर्णय लिया गयाा है कि "**बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत रखे जाने की शर्त निर्धारित करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं में उतीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत मार्क्स रखें जावें। परन्तु यदि न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक की शर्त के कारण पर्याप्त संख्या में चयनित अभ्यर्थी नहीं मिलते है तो बोर्ड विचार कर इस शर्त में आवश्यक छूट प्रदान कर सकेगा।**"

ग्रामसेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2016 में ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद हेतु परीक्षा परिणाम जारी करते समय दण्डवत (Vertical) आरक्षित पदों की संख्या के अनुसार न्यूनतम निर्धारित 40 प्रतिशत अंकों की सीमा तक पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण बोर्ड की 54वीं बैठक दिनांक 22.09.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड की 80वी बैठक दिनांक 03.07.2017 में ग्रामसेवक एवं पंचायत सचिव

तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2016 के अन्तर्गत ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद के लिये परीक्षा परिणाम घोषित किय जाने के संबंध में गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में 5 प्रतिशत एवं बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति श्रेणी में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। इसी अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति में 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति में 15 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया।

यह छूट दण्डवत (Vertical) आरक्षित पदों के लिये दी गई थी। यह छूट Vertical आरक्षण के साथ–साथ उसी श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण श्रेणी में अभ्यर्थियों के लिये भी दी गई है। अतः भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी उपरोक्तानुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में 5 प्रतिशत एवं बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति श्रेणी में 30 प्रतिशत छूट दी गई है। इसी प्रकार अनुसूचित क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचित जाति में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति में 15 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी श्रेणी मे छूट नही दी गई है।दण्डवत (Vertical) आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण है। किसी भी पद के पदों का आरक्षण की श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण दण्डवत (Vertical) आरक्षण, के अनुसार ही होता है। क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अलग से नहीं होकर दण्डवत (Vertical) आरक्षण में शामिल होता है। बोर्ड की 54वीं बैठक में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत में छूट दण्डवत (Vertical) आरक्षण को ध्यान में रख कर ही देने का निर्णय लिया गया था। ग्रामसेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2016 में ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के पदों की भर्ती हेतु दण्डवत आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार रिक्त पदों के संख्या के समान योग्य अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत की सीमा तक नहीं मिलने पर बोर्ड की 80वीं बैठक दिनांक 03.07.2017 में उपरोक्तानुसार छूट का निर्णय लिया गया। जिन श्रेणी में छूट दी गई, उनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी छूट दी गई है।

बोर्ड मीटिंग में माननीय न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के प्रकाश में ग्राम सेवक व पदेन सचिव ग्राम पंचायत एवं छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद हेतु घोषित परिणाम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 377 पदो के विरूद्व मात्र 3 पदों पर ही भूतपूर्व सैनिको का चयन हो पाने के संबंध में नये स्तर से उक्त परीक्षा के परिणाम में भूतपूर्व सैनिको को उनके लिए 12.5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुसार पद नहीं भरे जाने के संबंध में सभी कानूनी व विधिक पहलूओं का गहनता से विचार विमर्श किया गया।

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव भर्ती संबंधी कार्यवाही पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत की गई है। यद्यपि पंचायती राज अधिनियम 1996 में भूतपूर्व सैनिको हेतु किसी प्रकार के विशिष्ट (Specific) आरक्षण का प्रावधान नहीं है। फिर भी राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.06.2008 एंव THE RAJASTHAN CIVIL SERVICES(ABSORPTION OF EX-SERVICEMEN) RULES 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 12.5 प्रतिशित क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) उक्त भर्ती परीक्षा में भूतपूर्व सैनिको को बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 29.09.2016 में प्रावधान अनुसार 40 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने की सीमा तक प्रदत्त किया गया है।

THE RAJASTHAN CIVIL SERVICES(ABSORPTION OF EX-SERVICEMEN) RULES 1988 के नियम 1 के उपनियम 5 में प्रावधान है कि Where a reserve vacancy remains unfilled for non-availavbility of suitable ex-servicemen, such vacancy may be filled in from other source in accordance with the rules regulating the recruitment and conditions of service for persons appointed to such post as if the vacancy was not reserved;

Provided that the reserved Vacancy so reserved shall be carried forward to the next recruitment year where after the vacancy in question shall be treated as unreserved.)

भूतपूर्व सैनिको द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत को डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16638/2016 में चुनौती देने पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की डिविजन बैंच द्वारा यथावत (Upheld) रखा गया है कि "जब याचिकाकर्ता चयन प्रकिया में भाग ले चुके हैं तो वे न्यूनतम उतीर्णांक निर्धारण को चुनौती नहीं दे सकते है।"

उपर्युक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं की उक्त याचिका में बोर्ड की उक्त परीक्षा मे बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम उतीर्णांक 40 प्रतिशत को उचित ही माना गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एस.एल.पी संख्या 6433/2017 कमलेश कुमार बनाम सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में अपने निर्णय दिनांक 17.07.2017 में भूतपूर्व सैनिको के लिए न्यूनतम निर्धारिम 40 प्रतिशत अंको की वाध्यता के विरूद्ध की गई अपील को खारिज कर दिया गया है।

उक्त भर्ती परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने व पद भरने हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के एस.सी. , एस.टी तथा सहरिया आदिम जातियों को संवैधानिक प्रावधानो के तहत तथा अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य, एस.सी. ,एस.टी. अभ्यर्थियो को राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक व चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) रूल्स 2014 के तहत लम्बवत आरक्षण हेतु न्यूनतम उतीर्णांक में छूट प्रदान की गई है। इस छूट से उस श्रेणी के क्षैतिज आरक्षण हेतु भी उस सीमा तक छूट हो जाती है। उक्त परीक्षा में भूतपूर्व सैनिको की भांति ही किसी भी अन्य श्रेणी संवर्ग के अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) हेतु न्यूनतम उतीर्णांक में अलग से प्रावधानों के विपरीत छूट प्रदान नहीं की गई है। जिससे भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में किसी प्रकार की भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई गई है।

यदि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने हेतु क्षैतिज न्यूनतम उतीर्णांक अतिरिक्त रूप से पृथक से घटाये जाते है तो उस स्थिति में उस श्रेणी के अन्य उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जायेगें जो कि विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं होगा तथा कई प्रकार की कानूनी पेचिदगिया (Legal Complications) भी उत्पन्न हो सकती है। उपर्युक्तानुसार यदि भूतपूर्व सैनिको के क्षैतिज पदो को भरने हेतु छूट प्रदान की जाती है तो अन्य क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले वर्ग महिलाऐ, विधवाऐं, परित्यक्ताऐं तथा स्पोर्टसपर्शन (Sports Person) भी इस प्रकार की छूट की मांग करेगे जिसके संबंध में संबंधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त परीक्षा का नियमानुसार जारी किया गया पूरा परीक्षा परिणाम ही प्रभावित होगा तथा काफी संख्या में चयनित अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जायेंगे जो विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2016 के अंतर्गत ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पदों के लिये दिनांक 04.07.2017 को घोषित परीक्षा परिणाम भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण संबंधी उपर्युक्त नियमों/कानूनी प्रावधानों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होने से भूतपूर्व सैनिको के लिये क्षैतिज आरक्षण हेतु पदों को भरने हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट दिया जाना विधिसंगत नहीं है अतः बोर्ड द्वारा इस हेतु पूर्व में बोर्ड की 80वीं बैठक दिनांक 03.07.2017 में लिये गये निणय को यथावत रखा जाता है।